


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
 उमराव देवी बनाम गोकुल  
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 113/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21-3-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>उमराव देवी</u>  <del>पत्नी</del> <del>पति</del> श्री <u>चोदमल जी मारु (जाति जैन)</u>      निवासी <u>गोहरीनगर (चित्तौड़गढ़)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गोपालनगर</u>  <u>(सेमलपुर) वस्ती</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>740</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>0.4600</u> है० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गोपालनगर (सेमलपुर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>740</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>0.4600</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पोच सी रूपमे भात</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">         (वीनू देवन)        सहायक कलक्टर एव        उपखण्ड अधिकारी        चित्तौड़गढ़ (राज.)     </p>